न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 वाद सं0–09/2016–17

राज्य **बनाम** संजय प्रसाद

<table>
<tr><th>आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख</th><th>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>22/2/19</td><td>

आदेश

अपर जिला दण्डाधिकारी आपूर्ति, पटना के पत्रांक 1048/आ0 दिनांक 25.05.16के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ से प्राप्त पत्रांक 276 दिनांक 18.05.16 के अनुसार, अथमलगोला थाना में दिनांक 18.05.2016 को दर्ज कांड सं0 83/16 दिनांक18.05.16 की, प्राथमिकी, जप्ती–सूची, जिम्मेनामा की छाया–प्रतियाँ, संलग्न करते हुए न्यायालय में आवश्यक वस्तु अधिनियम–1995 की धारा– 6(ए) के अंतर्गत, जप्त किये गये अनुदानित सरकारी चावल को अधिग्रहण किये जाने का अनुशंसित प्रस्ताव के आलोक में प्रारम्भ किया गया।

उक्त पत्र के आलोक में प्रश्नगत वाद में दिनांक–03.06.2016 को पारित आदेश करते हुए, सूचना निर्गत किया गया कि अथमलगोला थाना के कांड सं0 83/16 में जप्त 80 (अस्सी) बोरे में 40 (चालीस) क्वींटल चावल खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री के पक्ष में यदि कोई साक्ष्य हो तो निर्धारित तिथि को स्वंय अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम् से अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा–6ए में प्रदत्त शक्ति के आलोक में अनुदानित खाद्यान्न को अवैध भण्डारण के आरोप में राज्यसात (Confiscate) कर लिया जायेगा।

जप्त अवैध रूप से भण्डारित खाद्यान्न को विनिष्टता से बचाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर को आदेश दिया गया कि बाजार दर पर बिक्री कराकर बिक्री से प्राप्त राशि को कोषागार चालान के माध्यम से सरकारी खजाना में जमा कर दें। अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के पत्र सं0 756 दिनांक–28.01.2016 द्वारा बिक्री से प्राप्त राशि 44,000 (चौवालीस हजार) रूपये का कोषागार में जमा कर चालान की छाया–प्रति भेजा गया।

विपक्षी (आरोपी) दिनांक 02.12.16 को वकलातनामा के साथ उपस्थित हुए। तदोपरान्त दिनांक–01.06.18 से 22.02.19 तक लगातार 04(चार) तिथियों पर अनुपस्थित हैं। तदनुसार अथमलगोला थाना के कांड सं0 83/16 में जप्त खाद्यान्न के सम्बन्ध में किसी माध्यम से कभी भी कोई दावा अथवा मालिकाना अधिकार प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अनुदानित खाद्यान्नों का अवैध भण्डारण करना कालाबाजारी को दर्शाता है।

ऊपर वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त किसी की दावेदारी या मालिकाना अधिकार प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में जप्त समाग्रियों एवं वाहनों को आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा–6ए में प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्यसात (Confiscate) किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। कालान्तर में व्यवहार न्यायालय से प्राप्त आदेश के फलाफल का अनुपालन किया जायेगा।

लेखापित एवं संशोधित।

22/2/19   22/2/19

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,   समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,

</td><td>ज्ञापांक 428 / आ० दिनांक 25/3/19। प्रतिलिपि, अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ / अपर जिला दण्डाधिकारी आपूर्ति, पटना को सूचनार्थ एवं आदेश के अनुपालनार्थ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
18/3/19
वरीय उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि
मनोज 18.3.19</td></tr>
</table>